दिनांक 28.08.2020

प्रेस विज्ञप्ति 36/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अभियान चलाकर अपराधियों पर कार्यवाही करने के दिये निर्देश के कम में कार्यवाही

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 16.08.2020 से **01 माह का विशेष अभियान** चलाकर अवैध शस्त्रों, कारतूसों आदि के निर्माण, क्रय–विक्रय आदि के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में दिनांक 27.08.2020 तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः–

1.	कुल गिरफ्तार किये गये अपराधियों की संख्या	1475
2.	बरामद अवैध शस्त्रों(बन्दूक, पिस्टल/रिवाल्वर)की संख्या	662
3.	अवैध शस्त्र फैक्ट्री की संख्या	11
4.	बरामद अन्य अवैध शस्त्रों की संख्या	1320

- प्रदेश के 25 कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके तथा गैंग के अपराधियों व उनके सहयोगियों के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है। माफिया तथा उनके सहयोगियों द्वारा आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्तियों को गैंगेस्टर अधिनियम की धारा–14(1) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुये करीब 125 करोड़ मूल्य से अधिक की सम्पत्ति को जब्त की गयी है। माफिया व उनके परिजनो व सहयोगियों के लगभग 150 शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। इनके विरूद्व पंजीकृत अभियोगों की सघन पैरवी कर सजा कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य प्रस्तावित कार्यवाहियां भी लगातार की जा रही है।

<u>पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण</u>

श्री एच0सी0 अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये है।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत हैः—

- चालान किये गये वाहनों की संख्या — 3593080
- सीज किये गये वाहनों की संख्या — 69881
- वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि **रू0** — **70,34,02,109**
- धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 206903
- ई0सी0 एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या — 840

जनपद सीतापुर/थाना थानगांव

- **20—20 हजार रू0 के 02 पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 28.08.2020 को थाना थानगांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गुड़ैचा चौराहा थाना सदरपुर से घेराबंदी कर 20—20 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी 1.नान्ह उर्फ राहुल, 2.पंकज को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीयहै कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद के थाना रामपुर पर लूट एवं गैंगस्टर आदि के अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्तगण थाना रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 238/2020 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 20—20 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. नान्ह उर्फ राहुल निवासी टेकुआ बसारी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी हाल पता बिहुरा थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।
2. पंकज निवासी टेकुआ बसारी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 28.08.2020 को थाना सदर बाजार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान मवीकला तिराहे से घेराबंदी कर 15 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी उस्मान को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2020 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 15 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. उस्मान निवासी देहरादून चौक खान आलमपुरा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

जनपद सम्भल/थाना कोतवाली सम्भल

• अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार
• विभिन्न बोर के 12 बने अवैध शस्त्र
• 03 अधबने अवैध शस्त्र
• 17 कारतूस
• अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 27.08.2020 की सांय थाना कोतवाली सम्भल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान गवॉ आदमपुर रोड अशोक आर्या के बाग में टयूबेल के पीछे अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त दानिश उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से विभिन्न बोर के 12 बने अवैध शस्त्र, 03 अधबने अवैध शस्त्र, 17 कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्ज आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सम्भल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. दानिश उर्फ मुन्ना निवासी बदॉयू दरवाजा मौहल्ला नाला थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।

बरामदगी

1. 09 अवैध तमंचा 315 बोर

4. 03 अवैध तमंचा 12 बोर

5. 03 अधबने तमंचे

6. 12 बोर के 10 कारतूस

7. भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद सम्भल/थाना धनारी

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **विभिन्न बोर के 09 बने अवैध शस्त्र**
- **04 अधबने अवैध शस्त्र**
- **विभिन्न बोर के 08 कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2020 की सांय थाना धनारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम हरफरी के जंगल में बन्द पड़ी मैन्था फैक्ट्री में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त सुरेश को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से विभिन्न बोर के 09 बने अवैध शस्त्र, 04 अधबने अवैध शस्त्र, 08 कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना धनारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सुरेश निवासी ग्राम हरफरी थाना धनारी जनपद सम्भल।

बरामदगी

1. 04 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 02 अवैध तमंचा 12 बोर
3. 04 अधबने तमंचे
4. 03 अवैध बन्दूक 12 बोर
5. विभिन्न बोर के 08 कारतूस
6. भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद।

जनपद रामपुर/थाना टाण्डा

- **06 वाहन चोरी गिरफ्तार**
- **चोरी की 20 मोटर साइकिलें**
- **02 अवैध तमंचे 12 बोर मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 27.08.2020 की सांय थाना टाण्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान टाण्डा से रफातपुर जाने वाले मार्ग पर नगर पालिका टाण्डा के खाली पडे प्लाटर हाउस से घेराबंदी कर 06 वाहन चोर 1.चॉद बाबू, 2.रिजाय उर्फ राजू 3.हारिश, 4.नजमुल फैजु रहमान, 5.मुरशद अली, 6.मैराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही पर चोरी की 20 मोटर साइकिलें, 02 अवैध तमंचे 12 बोर मय कारतूस आदि बरामद हुए।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने उत्तराखण्ड, मुरादाबाद, रामपुर आदि जगहों से वाहनों की चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर, फर्जी कागजात तैयार कर ग्राहक मिलने पर ग्राहकों को बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा वाहन चोरी की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. चॉद बाबू निवासी ग्राम मडवा हसनपुर थाना टाण्डा जनपर रामपुर।
2. रियाज उर्फ राजू निवासी ग्राम मडवा हसनवपुर थाना टाण्डा जनपद रामपुर।
3. हारिश निवासी मौहल्ला काजीपुरा कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर।
4. नजमुल फैजुल रहमान निवासी मौहल्ला सेन्टाखेडा की पुलिया के पास टाानाटाण्डा जनपद रामपुर।
5. मुरशद अली निवासी ग्राम छतरिया जागीर थाना टाण्डा जनपद रामपुर।
6. मैराज निवासी ग्राम टोडीपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

बरामदगी

1. चोरी की 20 मोटर साइकिलें
2. 02 अवैध तमंचे 12 बोर मय कारतूस आदि

जनपद औरैया/थाना ऐरवाकटरा

- **25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 28.08.2020 को थाना ऐरवाकटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना ऐरवाकटरा क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कन्हैया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना ऐरवाकटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2020 धारा 307 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना ऐरवाकटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कन्हैया निवासी अचानकपुर थाना ऐरवाकटरा औरैया।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

2—01 मोटरसाइकिल बरामद

जनपद गाजियाबाद/थाना लोनी

- **15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 28.08.2020 को थाना लोनी पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्रेमनगर क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अपराधी फईम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना लोनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 922/2019 धारा 302/120बी/307/504/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना लोनी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—फईम नि0 532 गली नं0 5 पुराना मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली।

एसटीएफःमहाराष्ट्र के विभिन्न जनपदों के थाना क्षेत्रों में चोरी, लूट एवं डकैती करने वाले गिरोह का 01 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 27.08.2020 को महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जनपदों में चोरी लूट एवं डकैती करने वाले गिरोह का सदस्य को थाना देहली गेट जनपद मेरठ क्षेत्रान्तर्गत से गिरफ्तार करने में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

रिजवान सैफी उर्फ पिन्टू पुत्र सलीम सैफी नि0 मौहल्ला बीडी वाली गली, पूर्वा फैययाज अलीथाना देहली गेट जनपद मेरठ।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांक 27.08.2020, स्थानः मौहल्ला पूर्वा फैययाज अली थाना देहली गेट जनपद मेरठ समयः–16.00 बजे।

एस0टी0एफ उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उ0प्र0 के रहने वालें अपराधियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जनपदों में राह चलते व्यक्तियों के साथ लूटपाट करने एंव बन्द घरों में चोरी व डकैती करने वालें गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, फील्ड इकाई, मेरठ द्वारा के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ के नेतृत्व में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद मेरठ के रहने वालें अपराधियों द्वारा महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट एंव डकैती की बड़ी घटनाओं को अन्जाम दिया जाता हैं। जिस संबंध में थाना वनरेई, मुम्बई पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए गैंग के 05 अपराधियों को दिनांक 22.08.2020 को गिर0 करते हुए मु0अ0सं0 794/2020 धारा 399/402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 37(1)(ए) 135 बीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। इस गैंग का एक सदस्य मुम्बई से भागकर मेरठ आ गया, जिसकी गिर0 हेतु डिप्टी कमीश्नर आफॅ पुलिस, जोन–12 मुम्बई का पत्र दिनांकित 25.08.2020 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसके क्रम में थाना वनरेई मुम्बई पुलिस टीम से समन्वय स्थापित करते हुए मुखबिर मामूर किये गये। मुखबिर द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र में चोरी, लूट व डकैती की घटना को अन्जाम देने वाले गिरोह का एक सदस्य महाराष्ट्र में किसी घटना को अंजाम देकर आया हैं तथा थाना देहली गेट क्षेत्र में रह रहा हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुये उ0नि0 श्री अरूण कुमार निगम के नेतृत्व में हे0कां0 संजय सिंह, हे0कां0 रवि वत्स एंव कान्स0 विकास धामा की टीम तैयार कर रवाना की गयी एवं थाना देहली गेट जनपद मेरठ पुलिस से सम्पर्क कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान को चिन्हित करते हुए स्थानीय पुलिस एवं मुम्बई पुलिस को साथ लेकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा संयुक्त रूप से संक्षिप्त पूछताछ पर बताया कि वह तथा थाना देहली गेट जनपद मेरठ क्षेत्र के ही रहने वाली सादाब कुरैशी, अहमद कुरैशी, वसीम कुरैशी, मौहम्मद चॉद एंव मुम्बई के तौफीक शेख व सिकन्दर शेख जो मुम्बई में ऑटो चलाते हैं, के साथ मिलकर उनके ऑटों में घूम फिरकर विभिन्न क्षेत्रों में लूट व चोरी की घटनाओं को अन्जाम देता हैं। दिनांक 22.08.2020 को हम लोग घरों में डकैती डालने की योजना बना रहें थें कि मुम्बई पुलिस ने छापा मारकर उसके साथी सादाब कुरैशी, अहमद कुरैशी, वसीम कुरैशी व मुम्बई के रहने वाले ऑटो चालक तौफीक शेख व सिकन्दर शेख को गिरफ्तार कर लिया था तथा वह अपने एक साथी मौहम्मद चॉद उर्फ पप्पू कुरैशी के साथ मुम्बई से भागकर मेरठ आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वनरेई, मुम्बई पर मु0अ0सं0 794/2020 धारा 399/402 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 37(1)(ए) 135 बीपी एक्ट पंजीकृत हैं, अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना वनरेई, मुम्बई पुलिस द्वारा की जा रही है।

———————